मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6673 /22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि. 30/04/2007

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

2. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

सर्वविदित है कि वृक्षों का अस्तित्व पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है वृक्षों और मानव की आजीविका का भी सनातन संबंध रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित जायें तो यह फलोद्यान पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्त्रोत भी उपलब्ध करा सकेंगे।

उक्त के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। तत्संबंध में यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

हेतु फेंसिंग या प्रति पौधे के लिए बागड़ एवं 5 वर्षों तक पौधों की निदाई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

4.5.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास "नंदन फलोद्यान" हेतु सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में सहयोग दल अपनी अनुशंसा में तदाशय का स्पष्ट उल्लेख कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर ग्राम पंचायत पैरा – 4.3.1 और पैरा – 4.4.5 के अनुक्रम में संबंधित हितग्राहियों के लिए "कपिलधारा उपयोजना" के प्रावधानों (इस विभाग के आदेश क्र. 6077/12/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007) के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने का कार्य इन हितग्राहियों की "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कर करायेगी।

4.5.3 सुरक्षा हेतु फेंसिंग का प्रावधान व प्राक्कलन में इसका समावेश :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए फेंसिंग के निम्न दो मॉडल उपयोग में लाये जा सकते हैं :–

- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से कम हो उन स्थलों पर प्रत्येक पौधे की स्थानीय तौर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों या बांस के ट्री गार्ड लगाकर व्यक्तिगत रूप से फेंसिंग की जा सकती है अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सीपीटी खोदकर फेंसिंग की जा सकती है। इस प्रकार की फेंसिंग के लिए व्यय अनुमान का उल्लेख अनुलग्नक – 5 में दर्शाये गये मॉडल प्राक्कलन में किया गया है।
- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से अधिक हो व रोपण का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक हो उन स्थलों पर Barbed Wire की फेंसिंग की जा सकती है। Barbed Wire फेंसिंग के व्यय अनुमान एवं उसके Parameters एवं Specificaation का उल्लेख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2402/22/वि–7/ग्रा.रो./2006 दिनांक 22.2.2006 में किया गया है।

अतः "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहीवार/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार करते समय इसमें उपरोक्तानुसार फेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखकर फेंसिंग की लागत का यथोचित समावेश किया जायेगा।